ग्राम पंचायत रझाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रझाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चेत राम	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री नरेश कुमार	23.1.16 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुनिता	1.4.13 से 7.9.14
2	श्री गोपाल शर्मा	8.9.2014 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत रझाना के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	**9**	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.62**
2	**10**	13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोग न करना	**4.75**
3	**11**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का क्रय करना	**6.09**
4	**14 (ग)**	अग्रिमों की वसूली न करना	**2.03**

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रझाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.8.2016 से 6.8.2016 तक ग्राम पंचायत, रझाना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 2/15, 3/16 तथा माह 7/13, 2/15, 9/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत रझाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹8000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0–4 दिनांक 5.8.16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रझाना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत रझाना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :– ग्राम पंचायत रझाना के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 तक स्व स्त्रोतों व विविध अनुदान **(खाता ''क'')** की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	1558342.13	2666231	4224573	2211716	2012857.13
2014.15	2012857.13	2464326	4477183	2148824	2328359.13
2015.16	2328359.13	3366662	5695021	3356039	2338982.13

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत रझाना की अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता ''ख'')** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –1** पर भी संलग्न है।

अनुदानों का विस्तृत विवरणः–

मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	22028	418058	440086	428157	11929
2014.15	11929	354050	365979	365979	0
2015.16	0	443152	443152	443152	0

वाटर शैड

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	0.00	710051.00	710051.00	313117.40	396933.60
2014.15	396933.60	142111.00	539044.60	219148.00	319896.65
2015.16	319896.65	140910.00	460806.70	251546.00	209260.69

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत रझाना की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैक समाधान विवरणीः– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रझाना द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया गया।

क्रम सं0	खाता	अन्तशेष
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	**रोकड वही के अनुसार खाता ''क''–पैरा 4(क)**	**2338982 .13**
2	**रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''–पैरा 4(ख)**	**209260.69**
	कुल योग	**2548242.82**
1	**बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट –2)**	**2739257.97**
	रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	**191015.15**

अन्तर के कारण :–

विवरण	स्व स्त्रोत व विविध अनुदान	वाटर शैड
चैक सं0 349395 दिनांक 25.3.16 जारी किया गया परन्तु दिनांक 31.3.16 तक भुनाया नहीं गया।	149000	
चैक सं0 349396 दिनांक 25.3.16 जारी किया गया परन्तु दिनांक 31.3.16 तक भुनाया नहीं गया।	49000	

Unreconciled amount.	(–) 7265	280.15	**6984.85**
Total Diff.	190735	280.15	**191015.15**

अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **निवेशः–** सचिव ग्राम पंचायत रझाना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना

ग्राम पंचायत रझाना की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही। पंचायत द्वारा स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है जो कि नियमों के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व तीन रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) लैजर खातों का निर्माण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत रझाना में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है, जबकि प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना में अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती थी। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) नियमों के विरूद्व 22 बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता ''क'' में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा खाता ''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत रझाना में दो बैंक खातों के स्थान पर **परिशिष्ट –2** में वर्णित 22 बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्लन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय का प्राक्लन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का

बजट प्राक्लन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्लनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्लन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹0.62 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत रझाना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व में **₹62000** की वसूली शेष थी।

दुकान का किराया :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	49500	49500	99000	49000	50000
2014–15	50000	49500	99500	54000	45500
2015–16	45500	49500	95000	33000	**62000**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

10 13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की ₹4.75 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–4}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹475496.32 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.09 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹609122 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	——	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	विभिन्न कार्यो का तकनीकी रजिस्टर	31	95(1)

14 विविध अनियमितताए

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।

(ख) सौर उर्जा लाइटें लगाने हेतु ₹3.28 लाख के भुगतान के बारे में

ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं0–4 दिनांक 10.4.12 की अनुपालना में 120 सौर उर्जा लाईटें लगाने हेतु (120X2731 प्रति लाईट) ₹327720 का भुगतान परियोजना अधिकारी हिमउर्जा, शिमला–171009 को दिनांक 29.7.13 को किया गया था। उक्त राशि का भुगतान ग्रामीणों से राशि एकत्रित करके किया था। अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त 120 सौर उर्जा लाईटों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी तथा न ही इन लाईटों की वास्तविक installation report संलग्न थी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा installation report के अतिरिक्त स्टॉक प्रविष्टि अंकेक्षण को दिखानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) अग्रिमों की ₹2.03 लाख वसूली न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–6** पर संलग्न है, के अनुसार अग्रिम के रुप में ₹202840.95 पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान व पूर्व वार्ड पंचों को दी गई

थी। उक्त अग्रिम राशि की वसूली लेखा परीक्षा की अवधि तक ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई थी। अतः उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित से करके यथाशीघ्र पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।

(घ) खण्ड विकास अधिकारी को ₹0.59 लाख वापिस करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत को ₹58800 एम्बुलैंस रोड बढई से धण्ती तक बनाने के लिए दिनांक 23.5.12 को प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्याः 9 दिनांक 8.7.13 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त सम्पर्क सड़क का अनापत्ति प्रमाण पत्र व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उक्त राशि को वापिस किया जाए। इस प्रकार पंचायत ने ₹58800 को लगभग एक वर्ष से अधिक समय के उपरान्त दिनांक 9.7.13 को वापिस खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा को भेजा था। इस प्रकार उक्त राशि को वापिस करने के कारण जन–मानस को एम्बुलैंस रोड का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जबकि ग्राम पंचायत को समस्त प्रकार की औपचारिक्ताऐं पूर्ण करनी अनिवार्य थी। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अनुदान प्राप्त करने से पूर्व भविष्य में समस्त औपचारिक्ताऐं अनुदान प्राप्त करने से पूर्व पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ड़) क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.23 लाख का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी थी, उस पर 10 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 की बजरी पर 5 प्रतिशत की दर से तथा 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 7.5 प्रतिशत की दर से तथा उससे उपर की मोटाई के पथरों की आपूर्ति पर 12.5 प्रतिशत voids की कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, जोकि **परिशिष्ट–7** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी व पथरों पर voids की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹22697 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(च) रेते बजरी तथा ईंटों इत्यादि के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

माह 2/15 में बिल सं0 09 दिनांक 15.2.15 द्वारा रेत, बजरी, ईन्टें इत्यादि का क्रय मैं0 ठाकुर ट्रास्पोर्टर, न्यु शिमला से ₹20517 में किया गया। इस क्रय हेतु दो कुटेशनें अभिलेख में पाई गई जिसमें उक्त आपूर्तिकर्ता की कुटेशन दिनांक 20.2.15 की थी। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि जब क्रय 15.2.15 को किया गया तो कुटेशन दिनांक 20.2.15 को किस प्रकार ली गई। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) जल रक्षक को मानदेय के रुप में भुगतान की राशि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

चयनित माह 9/15 में सामान्य निधि की रोकड वही के पृष्ठ–62 पर ₹8100 का भुगतान दिनांक 28.9.15 को चैक संख्याः 349114 द्वारा श्री नरेश कुमार, आई0पी0एच0 बेलदार को किया गया दर्शाया है। यह भुगतान आई0पी0एच0 द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से रखे गये जल रक्षक के मानदेय के रूप में

किया गया। उक्त राशि पंचायत में दिनांक 19.9.15 को आई0पी0एच0 से आगामी वितरण हेतु प्राप्त हुई थी, परन्तु अभिलेख में केवल उक्त कर्मचारी को दी गई ₹8100 की रसीद ही पाई गई। इसके अतिरिक्त कर्मचारी की उपस्थिति का सत्यापन या कितनी अवधि का किस दर से मानदेय का भुगतान किया गया का कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ज) ठेकेदार के बिल से ₹0.05 लाख की संवैधानिक कटौतियाँ न करना

निर्माण कार्य के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभूति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की अपेक्षित संवैधानिक कटौती जोकि निम्न विवरणानुसार **₹5400** बनती है, ठेकेदार से नहीं की गई थीः–

Sr. No	Bill /Vr. No	Month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	13	2/15	Hire of JCB	M/S Baldev Kumar New Shimla.	20000
2	36	9/15	JCB cutting	M/S Baldev Kumar New Shimla.	16000
				Total	**36000**
				प्रतिभुति राशि 10 %	3600
				विक्री कर 2 %	720
				आयकर 2 %	720
				लेबर सैस 1 %	360
				कटौतियों की कुल राशि	**5400**

अतः ठेकेदारों के भुगतान बिलों से संवैधानिक कटौतियौं न करने के कारण सरकारी राजस्व को वित्तिय हानि हुई जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियां करना सुनिश्चित किया जाए।

(झ) ग्राम पंचायत द्वारा ₹1500 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार मैं0 जतिन आर्टस न्यु शिमला को बिल की राशि से ₹1500 का अधिक भुगतान किया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए :–

क0 सं0	बिल सं0 / दिनांक	माह	आपूति कर्ता का नाम	मद	बिल के अनुसार वास्तविक राशि	रोकड वही के अनुसार भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1	440 / 10.2.15	2 / 15	मैं0 जतिन आर्टस न्यु शिमला।	साईन बोर्ड	2000	2500	500
2	446 / 10.2.15	2 / 15	–यथो–	–यथो–	1500	2000	500

3	487 / 10.2.15	2 / 15	–यथो–	–यथो–	2000	2500	500
						योग	**1500**

(ञ) ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान की गई ₹1166 के बिल / वाउचर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 2 / 15 में रोकड़ वही पृष्ठ–13 के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत ₹1166 की अदायगी श्री हरनाम सिंह को टैंक निर्माण के रूप में की गई थी, परन्तु भुगतान से सम्बन्धित कोई भी बिल / वाउचर नस्ति में संलग्न नहीं था तथा न ही इसे लेखा परीक्षा को दिखाया गया। इसके अतिरिक्त रोकड वही में बिल संख्या, दिनांक भुगतान का प्रयोजन इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः ₹1166 के बिल / वाउचर लेखा परीक्षा को दिखाने सुनिश्चित किए जाएं अन्यथा इस राशि की वसूली करके इसे पंचायत निधि में जमा किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ट) नया पंचायत घर रझाना के निर्माण बारे

चयनित माह 9 / 15 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹481627 का अंशतः भुगतान नया पंचायत घर रझाना के निर्माण हेतु **परिशिष्ट–8** पर संलग्न विवरण के अनुसार किया गया था, परन्तु पंचायत द्वारा करवाये गए निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी अनुमान, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रशासनिक अनुमोदन, ड्राईंग माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाये गये। अंकेक्षण को सूचित किया गया कि यह अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा के कार्यालय में है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मदों को न तो स्टॉक रजिस्टर में लिया गया है तथा न ही कुटेशन / टैंडर आमन्त्रित किए गये हैं जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के विशेश ध्यानार्थ लाया जाता है। ताकि उक्त पाई गई अनियमितताओं बारे तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ठ) निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर का निर्माण तो किया गया है, परन्तु उसमें समय–समय पर वांछित प्रविष्टियॉ नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है, परन्तु उनकी स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई। इस प्रकार क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करने के अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख में प्रविष्टि न करने के कारण स्टॉक में दुःर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक से जारी होने वाले सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ड) मनरेगा निर्माण कार्य के अभिलेख के रख रखाव मे पाई गई अनियमितताएं

मनरेगा के निर्माण कार्यों के व्यय / वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि मरनेगा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित कार्य के प्राक्लन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि अभिलेख

सम्बन्धित निर्माण कार्यो की नस्तियों में आधे–अधूरे उपलब्ध थे। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख को सम्बन्धित फाईलों में आवश्यक रूप से रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अपेक्षित जांच हो सके।

(ढ) रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना

पंचायत द्वारा जो भी रसीद बुकें जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा रही है, उनकी प्रविष्टि करने के लिए रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया था तथा रसीद बुकों की क्रम संख्या को बार–बार पुनः उसी क्रस संख्या में छपवाया गया था, जोकि उचित नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तुरन्त तैयार किया जाए और रसीदों की क्रम संख्या को बार–बार उसी क्रम में पुनः प्रयोग न किया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 21/2016–खण्ड–1–281–284 दिनाँकः 19.01.2017 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत रझाना, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.